बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक– BRRDA(HQ)-MMGSY-208/2016 1008 /पटना, दिनांक– 26.11.18

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०से०
विशेष सचिव,
ग्रामीण कार्य विभाग।

सेवा मे,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

विषय : मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए योजना शीर्ष 4515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–103–ग्राम विकास–उप शीर्ष–0113 (सामान्य), अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–लघुशीर्ष–789–उप शीर्ष–0104 एवं जनजातीय क्षेत्र उप योजना–लघुशीर्ष–796–उप शीर्ष–0109 के अन्तर्गत प्रत्येक योजना के निर्माण कार्य हेतु सूची के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष **2016–17** (अनुसूचित जाति) के लिए कार्य प्रमंडल, **पटना** के अधीन **01 (एक)** योजना के निर्माण एवं पंचवर्षीय अनुरक्षण कार्य सहित निम्न तालिका के स्तम्भ–9 में अंकित राशि का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया जाता है।

Sl No.	Division	Block	Category	Name of Road	Priority no of core network	Length (In km)	Total Population Served	Administrative Approval Amount (In Lakhs)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Patna	Patna sadar	SC	Marchi Ranipur Chakiya to Marchi Dalit Tola ka Remaining Part	3	0.400	613	77.900
			Total			0.400	613	77.900

2. विभागीय सचिव द्वारा दिनांक **14.10.2018** को निम्न शर्तों के साथ इस योजना की स्वीकृति प्रदान की गई है:–

(क) इस योजना को दो वित्तीय वर्ष, अर्थात वर्ष **2018–19** एवं वर्ष **2019–20** में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।

(ख) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना योजना के विस्तृत कार्य योजना तैयार करेंगे तथा उसके अनुरूप कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे।

(ग) स्वीकृत योजना की प्रविष्टि State Core Network के मानचित्र पर भी कर लिया जायेगा।

(घ) कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना सुनिश्चित करेंगे कि स्वीकृत पथ किसी अन्य योजना के अन्तर्गत सम्मिलित नहीं है।

3. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, पटना योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

4. कार्य ई–निविदा के माध्यम से Standard Bidding Document के आधार पर कराया जायेगा।

5. कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने की जिम्मेवारी संबंधित कार्यपालक अभियंता की होगी। किये गये कार्यों का भुगतान गुणवत्ता के जाँच फल के गुण–दोष के आधार पर किया जायेगा।

6. कार्यों का क्रियान्वयन मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना की मार्गदर्शिका के आलोक में किया जायेगा।

7. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी०पी०आर० पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी।

आंतरिक वित्तीय सलाहकार द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित